

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ १(५) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2023/२२७१-२३२५ जयपुर, दिनांक | ७.०५.२०२४

अधिसूचना

खरीफ फसल वर्ष 2023 (सम्वत् 2080) में सूखाग्रस्त तहसीलों को अधिसूचना क्रमांक एफ १(५) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2023/5576 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है, जिसकी अवधि अधिसूचना की तिथि से ६ माह तक प्रभावी है।

राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति के मध्यनजर उक्त अवधि को दिनांक 31.07.2024 तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आनन्द कुमार)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट-सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
- सचिव निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
- निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
- निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।